न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. 10 / 2024

दुर्गालाल पुत्र भवाना राम जाति रेगर निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

बनाम

1. तेजु पुत्र भवाना जाति चमार (बैरवा)
2. माधु पुत्र भवाना जाति चमार (बैरवा)
3. महेन्द्र कायत पुत्र अमरचन्द जाति कायत (खटीक)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध नामांतकरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 एवं 3928 दिनांक 05.03.2024 तहसीलदार भिनाय

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार देवलियाकलां।

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय खाता संख्या नया—पुराना 365—359 खसरा कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 हैक्ट. के पुराने खसरा नं. 3093 रकबा 5—00—00 परिवादी के पिता भवाना पुत्र भैरू कौम रेगर के नाम संवत 2021 में आवंटन हुई थी। जोकि नामान्तरण संख्या 837 के द्वारा अपीलार्थी के पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटन के बाद से ही उक्त आराजी पर भवाना एवं उसके उपरांत उनके विधिक वारिसान काबिज काश्त है। उक्त आराजी को संवत 2058 से 2060 में अपीलार्थी को बिना सुने नियम एवं कानून के विरूद्ध रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम बहेसियत खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया। उक्त आराजी पर रेस्पो. का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और ना वर्तमान में है। रेस्पो. सं. 1 व 2 ने उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठा कर आराजी को रेस्पो. सं. 3 को अवैध रूप से बेचान कर दिया। जिसके आधार पर रेस्पो. सं. 3 के नाम नामान्तरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 व 3947 दिनांक 05.03.2024 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण कतई गलत दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया है। इसलिए आक्षेपित नामान्तरण को खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता का नाम भवाना पुत्र भैरू रेगर है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता भवाना कौम चमार (बैरवा) है। अपीलान्ट के पिता को भूमि आवंटन

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

के बाद रिकार्ड में इन्द्राज भी उनके नाम गैर खातेदारी में किया गया। लेकिन बाद में गलती से जाति चमार हो गया। इसके उपरान्त भवाना रेगर व भवाना बैरवा फौत हो गये। तथा विरासत से आराजी रेस्पो. 1 व 2 के नाम इन्द्राज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उन्होंने रेस्पो. सं. 3 को बेचान कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य पूर्व में वाद विचाराधीन होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी का बेचान किया गया। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी के बाद रेस्पो. सं. 3 ने रेस्पो. सं. 1 व 2 को जरिये विक्रय पत्र पुनः विक्रय कर दी। लेकिन उक्त नामान्तरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 व 3947 दिनांक 05.03.2024 यथावत है। इसलिये यह अपील पेश की गई। अपील में वर्णित आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का ही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण निरस्त किये जावे।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट के पिता भवाना पुत्र भैरू रेगर को खसरा नं. 3093 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया था। जिसके नये खसरा नं. 633, 634 बने तथा उसके बाद सेटलमेन्ट में उक्त आराजी रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई। जिसके बाद उक्त आराजी का बेचान रेस्पो. सं. 1 द्वारा रेस्पो. सं. 3 को किया गया जिसका नामान्तरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 स्वीकृत हुआ तथा रेस्पो. सं. 2 के नाम दर्ज आराजी का रहनमुक्त का नामान्तरण सं. 3928 दिनांक 03.03.2024 रहनमुक्त पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया। रेस्पो. सं. 2 ने उक्त आराजी का बेचान रेस्पो. सं. 3 को किया जिसका नामान्तरण सं. 3947 दिनांक 05.03.2024 स्वीकृत हुआ। अपीलवर्णित आराजी का रेस्पो. सं. 3 द्वारा भी रामदेव पुत्र बीरमलाल बैरवा निवासी देवलियाकलां को बेचान कर दिया तथा वर्तमान में रामदेव उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। लेकिन अपीलवर्णित आराजी पर आवंटन के उपरान्त से अपीलान्ट के पिता एवं वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा उसके पिता को आवंटित भूमि का रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राज हो जाने का कथन किया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता को खसरा नं. 3093 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 837 से भवाना पुत्र भैरू रेगर के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। लेकिन इसके उपरान्त उक्त आराजी के नये खसरा नं. 272, 633, 634 बने जो रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा जरिये विक्रयपत्र आराजी का बेचान रेस्पो. सं. 3 को किया गया। जिनके आधार पर नामान्तरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 व 3947 दिनांक 05.03.2024 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये। वर्तमान में अपीलवर्णित आराजी का रेस्पो. सं. 3 द्वारा भी रामदेव पुत्र बीरमलाल बैरवा निवासी देवलियाकलां को बेचान कर दिया तथा वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। साथ ही आक्षेपित नामान्तरण संख्या 3928 दिनांक 03.03.2024 रहनमुक्त पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया। लेकिन मुताबिक पैरोकार सरकार उक्त आराजी का रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम सेटलमेन्ट से इन्द्राज हो जाने एवं आवंटन के उपरान्त से आदिनांक तक अपीलान्ट का ही कब्जाकाश्त आधिपत्य है। साथ ही अपीलान्ट के पिता को अपीलवर्णित आराजी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

का आवंटन होना भी निर्विवाद है। उपरोक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व रिकार्ड एवं मौके की विधिवत जांच नहीं की।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भिनाय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 3911 दिनांक 15.02.2024 एवं नामान्तरण सं. 3928 दिनांक 03.03.2024 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार भिनाय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट/पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये दस्तावेजी साक्ष्यों का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी